<u>न्यायालय सिविल जज(वरीय कोटि)–III, कहलगॉव, भागलपुर</u>

पीठासीन पदाधिकारीः– मो0 तसनीम कौसर

<u>दीवानी वाद संख्या–94/2021</u>

लक्ष्मण मुसहर...(वादी)

बनाम

बिहार सरकार व अन्य..(प्रतिवादीगण)

<u>आदेश</u>

09.07.2025:–

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से हाजिरी दी गयी। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा का प्रतिस्थापन आवेदन U/O- 22 Rule- 04 दिनांक 30.05.2025 को प्रचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 11 दिलीप मुसहर की मृत्यु दिनांक 31.03.2025 को हो गयी है जो अपने पीछे पत्नी बोगरी देवी एवं पुत्र मंगल कुमार को छोड कर गये है। वाद मे उचित न्यायनिर्णयन के लिए प्रतिवादी सं0 11 के उतराधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। अतः न्यायहित मे प्रतिवादी सं0 11 के नाम को वादपत्र से विलोपित कर उनके कानूनन वारिसानो के नामो को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय। वादी के आवेदन पर प्रतिवादी की ओर से No Objection अंकित किया गया है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है साथ ही समय सीमा के अंदर है। वाद की समुचित विनिश्चयन एवं वाद के दृष्टिकोण से प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 30.05.2025 को **स्वीकृत** किया जाता है।

कार्यालय ससमय आवेदनानुसार मृतक प्रतिवादी सं0 11 का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानो का नाम प्रतिस्थापित करे। वाद दिनांक 04.09.2025 वास्ते मृतक प्रतिवादी संख्या 11 के वारिसानों की उपस्थिति हेतु वादी सम्मन की अपेक्षिताऐं दाखिल करें।

सिविल जज(वरीय कोटि)-III
कहलगॉव(भागलपुर)